कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14353/1272 दिनांकः– 08/07/13

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद लखीसराय के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 532/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,
08/7/13
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर परिषद लखीसराय
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या–532 / 12–13
(अवधि– 2010–11 से 2011–12 तक

1. **प्रस्तावना**

नगर परिषद्, लखीसराय के वर्ष–2010–11 से 2011–12 के लेखाओं की लेखा–परीक्षा की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा–परीक्षा), स्थानीय लेखा–परीक्षा शाखा, बिहार पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 22.11.2012 से 08.12.2012 तक की अवधि में किया गया ।

2. **प्रशासन**

क्र0सं0	मुख्य पार्षद का नाम	अवधि
(i)	श्रीमती सीमा देवी	01.04.2010 से 31.03.2012

क्र0सं0	उपमुख्य पार्षद का नाम	अवधि
(i)	श्री सुनील कुमार	01.04.2010 से 03.11.2012
(ii)	श्री मनीष कुमार सिंह	04.11.2011 से 31.03.2012

क्र0सं0	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि
(1)	श्री राजेश्वर झा, बि0प्र0से0	01.04.2010 से 31.03.2012

3. **लेखा परीक्षा का क्षेत्र** :–

लेखा–परीक्षा में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में तथा लेखा–परीक्षा में उपस्थापित नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूचि परिशिष्ट–II में दी गई है।

4. **पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन** :–

नगर परिषद् लखीसराय को निर्गत लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार थी।

185

क्र0सं0	प्रतिवेदन सं0 / वर्ष	लंबित कंडिकाओं की सं0
1.	173 / 06–07	16
2.	215 / 08–09	19
3.	726 / 10–11	19
		कुल :– 54

लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में लेखा–परीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो जाता है।

उक्त प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लेखा–परीक्षा में आवश्यक जाँच हेतु उपस्थापित नहीं किया गया तथा इस संबंध में प्रतिवेदन सं0–215 / 2008–09 के कुछ कंडिकाओं का जबाव दिखाया गया लेकिन उससे संबंधित कोई अभिलेख एवं पंजी इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कंडिकाओं को विलोपन करने के संबंध में विचार नहीं किया जा सका।

अतः उक्त लंबित कंडिकाओ का अनुपालन प्रतिवेदन नगर परिषद बोर्ड से पारित करवाकर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित लेखा परीक्षा कार्यालय को भेजा जाय।

5. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन** :–

बिहार नगरपालिका लेखा नियम–1928 के धारा–20,64 एवं 73(क) इत्यादि में यह उपबंधित है कि आंतरिक जाँच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाये, के द्वारा किया जायेगा । इस तरह की जाँच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता को दुर करने हेतु की गई है।

अभिलेखों की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि इस तरह की जाँच की व्यवस्था नगर परिषद् प्राधिकारी के द्वारा नहीं की गई थी जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितता पायी गई जिसका उल्लेख प्रतिवेदन की कंडिकाओं मे की गई है।

अतः नगर परिषद् प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि नियम के उपबंधों के अनुरूप जाँच की व्यवस्था की जाय, ताकि किसी भी गम्भीर वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके तथा अभिलेखों का उचित संधारण हो सके।

6. लेखा–परीक्षा का महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

क0 सं0	कंडिका सं0	विवरण
1	10	कम / नही जमा ₹0.20 लाख
2	11(III)	बन्दोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नही करने से हानि ₹0.98 लाख
3	19(II)	श्रम सेस की कटौती नहीं ₹9.37 लाख
4	20	अधिक भुगतान ₹0.14 लाख
5	21	संदेहात्मक व्यय ₹44.72 लाख
6	23	दैनिक मजदूरों पर व्यय ₹16.71 लाख

7. सरकारी अनुदान

अनुदान पंजी विहित प्रपत्र में संधारण नहीं किया गया था, जबकि बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली–1928 के नियम–14(C) के अनुसार विशिष्ट प्रयोजनाओं के लिए प्राप्त अनुदानों का व्यय प्राप्ति वर्ष से तीन वर्षों के अन्दर कर लिया जाना चाहिए अथवा सरकार से पूर्वानुमति लेकर ही किसी अन्य मद में व्यय किया जाना चाहिए। फिर भी रोकड़ वही के अनुसार नगर परिषद् को वर्ष–2010–11 एवं 2011–12 तक में कुल राशि रू0 10,58,38,904=00 का अनुदान प्राप्त हुआ था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट III पर)

अतः परिषद् प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि प्राप्त अनुदान के विहित प्रपत्र को अनुदान पंजी में वर्ष के प्रारंभ में शीर्षवार, वर्ष में प्राप्त अनुदान, व्यय की गई राशि एवं वर्ष के अन्त शेष शीर्षवार तथा अनुपयोगित अनुदान की स्थिति हेतु अद्यतन अनुदान पंजी में संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

8. अवास्तविक बजट

वर्ष –2010–11 से 2011–12 के बजट संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बजट तैयार करने से पहले वास्तविकता का ध्यान रखकर आय–व्यय तैयार नहीं किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

आय पक्ष

क्र0सं0	विवरण	2010–11 अनुमानित प्राप्ति	2011–12 (लाख में)	2010–11 वास्तविक प्राप्ति	2011–12	अन्तर 10–11& 11–12
1.	नया करारोपन	6.00	10.00	शून्य	शून्य	100%
2.	बैलगाड़ी, रिक्शा टमटम, ठेला,साईकिल एवं चालकों का अनुज्ञप्ति शुल्क	0.30	0.30	शून्य	शून्य	100%
3.	विज्ञापन कर	2.00	5.00	शून्य	शून्य	100%
4.	मनोरंजन कर	2.00	2.00	शून्य	शून्य	100%
5.	बाजार हाट	2.00	2.00	शून्य	शून्य	100%
6.	मार्ग कर	–	10.00	–	शून्य	100%

व्यय पक्ष

1.	कुआं निमार्ण एवं मरम्मति	5.00	–	शून्य	–	100%
2.	टीका देने वाला पाक्षक	1.20	–	शून्य	–	100%
3.	शिक्षा सेस की वापसी	6.00	10.00	शून्य	शून्य	100%

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) वर्ष 2010–11 एवं 11–12 के आय–व्यय के लिए तैयार की गई अनुमानित बजट से वास्तविक आय–व्यय में शत प्रतिशत शुन्य किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि बजट बनाने के समय वास्तविक आय–व्यय का ध्यान नहीं रखा गया था जिसके कारण अनुमानित एवं वास्तविक में 100% का अन्तर था तथा इस संबंध में भविष्य में ध्यान रखने हेतु कहा गया है।

(ii) नगर परिषद के वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के पारित बजट को सरकार से अनुमोदन हेतु भेजी जाने हेतु कोई पत्र इत्यादि अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया था तथा इस संबंध मे सरकार को भेजने हेतु कहा गया है। इस संम्बन्ध में नगर परिषद का उत्तर संतोषप्रद नहीं था।

अतः परिषद प्रशासन को सुक्षाव दिया जाता है कि बजट तैयार करने के समय वास्तविक आय–व्यय का ध्यान रखा जाय साथ ही सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी गई पत्र को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

9. (आय–व्यय) अधिदृश्य

नगर परिषद लखीसराय को सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय से वित्त पोषित था जिसके लिए लेखापाल रोकड़ बही का संधारण किया गया था साथ ही, इसके अतिरिक्त अन्य मदों के लिए अलग अलग रोकड़ बही का संधारण किया गया था जिसका आय–व्यय की स्थिति निम्न प्रकार का था

(1) लेखापाल रोकड़बही

		2010–11	2011–12
1.	प्रारंभिक शेष :–	49832169.08	64180757.08
2.	प्राप्तियाँ :–	63444412.00	69710710 .50
3.	जोड़:–	113276581.08	133891467 .58
4.	व्यय :–	49055824.00	44259467.00
1.	अन्त शेष:–	64180757.08	89632000 .58

(2) विधान परिषद्/विधायक मद

		2010–11	2011–12
1.	प्रारंभिक शेष:–	4526883.00	2196865.00
2.	प्राप्तियाँ:–	शुन्य	63136.00
3.	जोड़:–	4526883.00	2260001.00
4.	व्यय:–	2330018.00	49505.00
5.	अंत शेष:–	2196865.00	2210496.00

(3) सांसद मद

			2010–11	2011–12
1.	प्रारंभिक शेष :–		431693 .45	431693.45
2.	प्राप्तियाँ :–		शून्य	शून्य
3.	जोड़	:–	431693 .45	431693.45
4.	व्यय	:–	शून्य	शून्य
5.	अन्त शेष	:–	431693 .45	431693.45

(4) सुरजगढ़ा विद्यायक

		2010–11	2011–12
1.	प्रारंभिक शेष	2564024	2564024
2.	प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य
3.	जोड़	2564024	3091391
4.	व्यय	शून्य	665649
5.	अंत शेष	2564024	2425742(25.06.11 तक)

(5) श्री संजय कुमार सिंह/श्री प्रयाग चौ0 (विद्यायक)

			2010–11	2011–12
1.	प्रारंभिक शेष :–		274201	170085
2.	प्राप्तियाँ :–		शून्य	शून्य
3.	जोड़:–	:–	274201	170085
4.	व्यय:–	:–	104116	शून्य
5.	अन्त शेष:–	:–	170085	170085

(6) सुनिश्चित/सं0 ग्रा0 रो यो0

		2010–11	2011–12
1.	प्रारंभिक शेषः–	600972	600972
2.	प्राप्तियाँः–	शून्य	347832
3.	जौड़ः–	600972	948804
4.	व्ययः–	शून्य	688307
5.	अंत शेषः–	600972	260497

(विस्तृत विवरण परिशिस्ट IV पर)

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) आय–व्यय का मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक शीर्षवार विवरण नहीं बनाया गया था।

(ii) एक रोकड़ बही में अनेक योजना मद की राशि का संधारण एवं एक से अधिक खाता में जमा किया जाता था लेकिन योजनावार शेष रोकड़बही में संधारित नहीं किया गया था।

(iii) लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि सितम्बर–2011 एवं मार्च–2012 के व्यय पक्ष में क्रमशः 350300.00 एवं 1130987.00 जोड़ा नहीं गया था।

(iv) किसी भी रोकड़बही में लेखापाल एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं सत्यापन नही किया हुआ था।

(v) लेखापाल रोकड़बही का अन्तशेष की राशि ₹89632000.58 का विस्तृत विवरण तैयार कर नहीं दिखाया गया था।

अतः उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाये।

(II) नगर परिषद् लखीसराय में संधारित रोकड़बही एवं पासबुक का अन्त शेष की स्थिति निम्न प्रकार था।

क्र0सं0	योजना मद का नाम	रोकड़बही का अन्त शेष	पासबुक का अन्तर अन्त शेष	बैक का नाम एवं खाता सं0
(i)	लेखापाल रोकड़बही	89632000.58	56962917.00	कोषगार पासबुक,लखी0,
(ii)	विशेष पैकेज / पथों का निर्माण		2294641.00	सेन्ट्रल बैक, लखीसराय खाता सं0--1691060351
(iii)	तथैव		1019193.00	Co-operative Bank लखी0 खाता सं0--3896
(iv)	नगर परिषद निधि		6403053.01	भा0 स्टेट बैंक, लखी0 खाता सं0 11316355047
(v)	तथैव		610812.00	भा0 स्टेट बैंक, लखीसराय खाता सं030381404937
(vi)	मुख्य मंत्री शहरी विकास योजना		3651768.00	बैंक ऑफ इंडिया खाता सं0--2636
(vii)	सम विकास योजना		350470.00	भा0 स्टेट बैंक,लखी0 खाता सं0 30281281441
(viii)	पि0क्षे0अनु0कोष		20732390	सेन्ट्रल बैंक लखी0 खाता सं03018838260
		89632000=58	92025244=01	2393243=43
2.	विधायक / विधान परिषद	2210496	3022797	812301 प0ने0बैक,लखीसराय खाता सं03936000100023344
3.	सांसद मद	431693=45	335161=45	96532 पं0ने0बैक,लखी0 A/c-3936000100030557

4. सुरजगढ़ा विधयक	2425742	2526049	पं0ने0बैक,लखीसराय
			A/c.3936000100022275
		20662	Co-operative Bank लखी0
		2546711	120969= A/c-No-165
5.विधयक मद	170085	4267	Co-operative Bank, लखी0
(श्री संजय कु0 सिंह)			A/c-3897
(श्री प्रयाग चौधरी)			(प्रयाग चौ0)
		5070	159748 Co-operative Bank,लखी0
		10337	A/c-3897
6. सुनिश्चित / सं0ग्रा0रो0यो0	260497	278173	17676 पं0ने0बैक,लखी0
			A/c-3936000100024228

अंकेक्षण टिप्पणी

रोकड बही का अंत शेष की राशि एवं पासबुक के अन्त शेष की राशि का अन्तर का समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

10. कम/ नहीं जमाः ₹0.20 लाख

'एच' रसीद एवं दैनिक वसूली पंजी से मिलान करने के क्रम में पाया गया कि विभिन्न तहसीलदारों के द्वारा कुल राशि ₹ 20111.00 जमा नहीं किया गया था संबंधित विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	'एच', रसीद सं0/ दिनांक	वसूली की राशि	जमा	नही जमा	अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि	विविध रसीद सं0 दिनांक	तहसीलदार का नाम
1.	6486 / 18.06.12	876	776	100	100 ┐	1597 / 3.12.12	श्री सुरेश प्रसाद
2.	6494 / 19.06.12	2042	1942	100	100 ┘		
3.	7392से 7394 23.11.12 से 26.11.12	19092	शून्य	19092	19092	1595 / 30.11.12	श्री विरेन्द्र कुमार

4.	2816 से 2878 1.02.11 से 14.02.11	1157	984	173	173	–	श्री प्रमोद पाठक
5.	3433से 3435 22.09.11 से 25.09.11	2364	2300	64	64	–	श्री प्रमोद पाठक
6.	5716से 5731 2.4.12 से 5.4.12	3113	2985	128	128	–	श्री प्रमोद पाठक
7.	8236से 8239 17.11.12	366	शून्य	366	366		श्री उमाशंकर सिंह
8.	2821/5.2.11	152	64	88	88	–	श्री प्रमोद पाठक
	कुल राशि–	29162	9051	20111	20111		

नहीं जमा/कम जमा की कुल राशि ₹20111.00 को लेखा परीक्षा के दौरान जमा किया गया लेकिन जमा की गई राशि की प्रविष्टि को बैंक खाते एवं लेखापाल रोकड़बही में नहीं दिखाया गया। अतः इसे अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाये।

11.सैरातों की बन्दोबस्ती

(I) अम्बेदकर बस पड़ाव, विद्यापीठ चौक, लखीसराय (2010–11)

अम्बेदकर बस पडाव, वर्ष 2010–11 के बन्दोवस्ती हेतु दैनिक जागरण समाचार पत्र (दिनांक 22.5.2010) में प्रकाशन एवं बार–बार डाक का समय निर्धारित होने के बाद भी कोई डाकवक्ता के डाक में भाग नहीं लेने के कारण पूर्व के बन्दोवस्तकार को ही पूर्व के डाक की राशि में 10% जोड़कर कुल राशि ₹ 481800.00 (A 1320X365 दिन), रूपया–1320/– प्रतिदिन पर बस पड़ाव की बन्दोवस्ती होने तक श्री बमबम सिंह पे0– वालेश्वर सिंह, कार्यानन्द नगर, लखीसराय से वसूली हेतु, पत्रांक 10 मु0/ दिनांक 30.3.2010 को आदेश निर्गत किया गया था जिसके आधार पर पूरे वर्ष का (2010–11) का कुल राशि ₹481800.00 विभिन्न विविध रसीदों के माध्यम से कार्यालय में जमा कराया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

वर्ष–08–09 की बन्दोवस्ती की राशि के आधार पर वर्ष 2009–10 में 01.05.2009 से 31.03.2009 तक कुल 31 दिनो के लिए @3015/– प्रतिदिन के आधार पर वसूली श्री ब्रजनन्दन शर्मा को दी गयी थी

जबकि पूर्व में रूपया 3015 प्रतिदिन की वसूली पर दिया गया था तो किस आधार पर 1320/– प्रति दिन का दर निर्धारित कर वसूली हेतु आदेश निर्गत किया गया था जिसके कारण कुल राशि ₹618675 (3015/=X 365 दिन)– (1320/–X 365 दिन) (1100475–481800) की हानि परिषद को उठानी पड़ी।

(II) अम्बेदकर बस पड़ाव (वर्ष–2011–12)

अम्बेदकर बस पड़ाव, विद्यापीठ चौक, लखीसराय, के वर्ष 2011–12 के बन्दोवस्ती के लिए दैनिक समाचार पत्र, प्रभात खबर में दिनांक 11.03.2011 को सुचना प्रकाशित किया गया था तथा पूर्व वर्ष की वसूली की राशि ₹481800.00 में 10% वृद्धि कर कुल राशि ₹529980.00 सुरक्षित जमा राशि तय किया गया था, तथा उस आधार पर तीन डाकवक्ता के द्वारा बोली गई डाक की उच्चतम राशि ₹532900.00 में श्री कुमार रामाश्रय प्रसाद से एकरारनामा करते हुए, तथा सभी राशि ₹532900.00 विविध रसीदों से जमा करने के बाद, कार्यालय पत्रांक सं0–354 दिनांक 16.03.11 के आलोक में दिनांक 01.04.11 से वसूली हेतु परवाना जारी किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

अगर वर्ष 2008–09 की बन्दोवस्ती के दर ₹3015.00 प्रतिदिन के आधार पर सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण किया जाता तो वर्ष 2010–11 में ₹1100475.00 एवं वर्ष 2011–12 में ₹1210523= (1100475X 10%) से कम राशि का निर्धारण नहीं होता। सुरक्षित राशि कम निर्धारण किये जाने के कारण कुल राशि ₹677623.00 (1210523–532900) की हानि परिषद को उठानी पड़ी।

(III) बन्दोवस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं करने से राजस्व हानि (₹0.98 लाख)

बिहार सरकार के पत्रांक 1920/मुख्य सचिव/14.08.2002 एवं पत्रांक 549 दिनांक–15.03.2005 के अनुसार बन्दोवस्ती राशि के 3%, मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा कराया जाता है लेकिन सैरातों के नमूना जॉच से ज्ञात हुआ कि परिषद के द्वारा विधिवत स्टाम्प पेपर पर बन्दोबस्ती का एकरारनामा नहीं किया गया था,फलस्वरूप, सरकारी राजस्व की हानि निम्नवत हुईः–

क्र0सं0	सैरात का नाम	वर्ष	राशि	3%निबन्धन शुल्क
1.	लालु बस पड़ाव	2010–11	1067500	32025
		2011–12	1174250	35228

2.	अम्बेदकर बस पड़ाव	2010–11	481800	14454
		2011–12	532900	15987

कुल ₹97694=00

अतः सरकारी राजस्व की हानि ₹97694=00 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

12. (i) बकाया मकान कर ₹264.31 लाख

नगर परिषद करों ,जैसे :– मकान कर, शिक्षा कर, एवं स्वास्थ्य कर इत्यादि से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था, लेकिन वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के मांग एवं वसूली से संबंधित विवरण उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार 31.03.2012 तक कुल मकान कर की बकाया राशि ₹2,64,31,310.00 थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

मकान की कुल संख्या–12042

		2010–11	**2011–12**
1.	कुल बकाया मांग	181,29,913	22256550
2	कुल वर्ष की मांग	4619756	6204980
3.	जोड़ कुल मांग	22749669	28461530
4.	कुल वसूली	493119	2030220
5.	कुल बकाया राशि	22256550	26431310

<u>अंकेक्षण टिप्पणी</u>

(i) मकान कर का माँग एवं वसूली पंजी का अद्यतन संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में मात्र क्रमशः 2.16% एवं 7.13% ही वसुली की गई थीं। जिसकी वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास कर बकाया कर वसूला जाय।

(II) शिक्षा उप कर एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली की गई राशि सरकारी शीर्ष में जमा नहीं किया जाना ₹11.36 लाख

नगर परिषद लखीसराय, वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में शिक्षा उप कर एवं स्वास्थ्य उप कर के मद में कुल राशि ₹1261670.00 की वसूली की गई थी लेकिन उक्त करों का 10% वसूली प्रभार काटकर शेष राशि सरकारी खातों में जमा किया जाना था जिसें नहीं किया गया था। संबंधित विवरण निम्नलिखित है

वर्ष	शिक्षा उप कर	स्वास्थ्य उप कर	कुल राशि
2010–11	123280	123280	246560
2011–12	507555	507550	1015110
			1261670
	घटाव 10% वसूली प्रभार –		126167
	कुल योगः–		11,35503

कुल राशि ₹1135503.00 वसूली प्रभार काट कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया था तथा इस संबंध में जबाब दिया गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अतः कुल राशि ₹1135503.00 सरकार के शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उप कर के संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

13.(I) दुकान बकाया किराया ₹1.72 लाख

दुकान किराया वसूली पंजी के जाँच के क्रम मे ज्ञात हुआ कि नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत मात्र 16 दुकानें थाना चौक पर अवस्थित है जिसमें सभी दुकनदारों के पास कुल राशि ₹171600=00 बकाया किराया लंबित था।

.(विस्तृत विवरण परिशिष्ट v पर)

अंकेक्षण टिप्पणी

दुकान बकाया किराया राशि ₹171600.00 संबंधित दुकानदारों से वसूल कर परिषद कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(II) **दुकान किराया पुनरीक्षित नहीं होने से राजस्व की हानि**

दुकान आबंटन संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि एकरारनामा के अनुसार प्रत्येक 5 वर्षों में किराया का पुनरीक्षित किया जाना था लेकिन परिषद के द्वारा नहीं किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

एकरारनामा के अनुसार 5 वर्षो पर पुनरीक्षित नहीं किये जाने के कारण हुई हानि की गणना कर उसकी वसूली की जाय एवं दुकान किराया का पुनरीक्षण किया जाय।

14. सरकारी भवनों पर मकान कर बकाया ₹28.13 लाख

नगर परिषद के द्वारा सरकारी भवनों पर मकान–कर बकाया से संबंधित कोई माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। सरकरी भवनों पर बकाया मकान कर से संबंधित उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार वर्ष–2011–12 तक कुल राशि ₹28,12,874.14 मकान कर के रूप में बकाया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) सरकारी भवनों पर बकाया से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का अधतन संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) कुल बकाया राशि ₹28,12,874.14 संबंधित सरकारी भवनों से वसूल कर परिषद कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

15. मोबाईल टावर शुल्क की वसूली नहीं किया जाना ₹ 9.00 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार,पटना के अधिसूचना सं0–3691 दिनांकः– 08.–10–2012 द्वारा बिहार नगपालिका अधिनियम–2007 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–127 की उपधारा 1 (ड़) तथा 419(i) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार संचार टावर एवं संबंधित संरचना नियमावली–2012, द्वारा यह प्रावधान किया गया है, कि नगर–परिषद क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में स्थापित प्रति टावर पंजीयन शुल्क ₹40000.00 तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क ₹10000.00 प्रति वर्ष टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही, एक ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लिया जाएगा। जबकि नगर परिषद् के द्वारा टावर संबंधित मांग एवं वसूली पंजी अधतन तैयार नहीं किया गया था। परन्तु, टावर से संबंधित संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि

परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों के द्वारा टावर स्थापित किया गया था जिसका कुल राशि ₹9,00,000.00 का वसूली नहीं किया गया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट vi पर)

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) परिषद क्षेत्रान्तर्गत स्थापित सभी टावरों एवं एंटिना का गणना कर संबंधित कम्पनियों से स्थापित शुल्क एवं नवीकरण शुल्क से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का अधतन संधारण कर राशि की माँग किया जाय।

(ii) कुल राशि ₹900000.00 संबंधित कम्पनियों से वसूल कर परिषद कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

16. निरस्त

17. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

रोकड़ बही के अनुसार वर्ष –2010–11 से 2011–12 तक मे प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण इस प्रकार है।

	2010–11	2011–12
(i) प्रारंभिक शेषः–	1459259	1259759
(ii) प्राप्ति :–	शून्य	शून्य
(iii) जोड़ :–	1459259	1259759
(iv) व्यय :–	199500	शून्य
(अ) अन्त शेष :–	1259759	1259759

रोकड़ बही के अनुसार वर्ष–2010–11 में कुल राशि ₹199500.00 व्यय किया गया था जो निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	तिथि	राशि	विवरण
1.	13.4.10	15000.00	बैंक ऑफ इंडिया से दो लाभान्वितों का अनुदान की राशि का भुगतान
2.	17.6.10	37500.00	सेन्ट्रल बैंक से 05 लाभार्थी को भुगतान
3.	17.6.10	37500.00	– वही–
4.	17.6.10	7500.00	बैंक ऑफ इंडिया से 01 को भुगतान
5.	17.6.10	7500.00	–वहीं–
6.	23.8.10	7500.00	–वही–
7.	15.2.10	57000.00	SBI, कृषि शाखा, लखीसराय से 08 लाभार्थी को रूप हेतु 15% अनुदान की राशि
8.	03.02.11	7500.00	CBI, से पिन्टू वार्ड नं0–32 को खण हेतु अनुदान का भुगतान
9.	03.02.11	22500.00	PNB, से 03 व्यक्तियों को रूण हेतु अनुदान की राशि का भुगतान
		1,99,500=00	

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) वर्ष–2010–11 एवं 2011–12 में सरकार से इस योजना में कोइ राशि प्राप्त नहीं हुआ था अवशेष राशि ₹12,59,759.00 सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने के जवाब में कहा गया कि सरकार से निर्देश प्राप्त कर कर्रावाई की जायेगी।

अतः सुझाव दिया जाता है कि सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाये।

(ii) कुल राशि ₹199500.00 व्यय से संबंधित संचिका एवं अभिश्रव अंतिम दिन उपस्थापित किये जाने के कारण जाँच नहीं किया गया था।

अतः आवश्यक जाँच हेतु उसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

18. राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास योजना

इस योजना के रोकड़ बही के अनुसार वर्ष–2010–11 से 2011–12 तक में प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण इस प्रकार था।

	2010–11	2011–12
(i) प्रारंम्भि शेषः–	1145601	645951
(ii) प्राप्ति :–	शून्य	शून्य
(iii) जोड़ :–	1145601	645951
(iv) व्यय :–	4,99650	शून्य
(v) अन्त शेष :–	645951	645951

इस रोकड़ बही के अनुसार वर्ष–2010–11 में कुल राशि ₹499650.00 व्यय किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार थाः–

क्र0सं0	तिथि	राशि	विवरण
1.	30.4.10	219024	श्री वसन्त कुमार वर्मा, संवेदक को यो0 सं0 45/06–10, वार्ड न0–7 मं आवास निर्माण हेतु भुगतान ।
2.	30.8.10	143556	श्री महेश प्र0 सिंह, संवेदक को यो0सं012/08.09 के0आर0के0 स्कूल के निकट 4 अदद आवास निर्माण हेतु भुगतान।
3.	16.12.10	90971	– वही–
4.	19.2.11	13193	– वही–
5.	30.9.10	19402	आयकर विभाग को भुगतान (TDS)
6.	26.3.11	10555.00	– सहायक आयुक्त वाणिज्यकर विभाग को भुगतान
7.	26.3.11	2949	खनन विभाग का भुगतान
		4,99,650.00	

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) सरकार के द्वारा इस योजना में अब कोई राशि प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही परिषद के द्वारा शेष राशि का व्यय भी नहीं किया जा रहा था। शेष राशि ₹645951.00 सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने हेतु जबाब दिया गया कि सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर कारवाई की जायेगी।

अतः सुझाव दिया जाता है कि सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्रवाई की जाय।

(ii) कुल राशि ₹499650.00 व्यय से संबंधित संचिका एवं अभिश्रव अंकेक्षण के अंतिम दिन उपस्थापित किये जाने के कारण जाँच नहीं किया जा सका।

अतः आवश्यक जाँच हेतु उसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

19.(I) योजना की स्थिति

योजना विवरणी के जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्ष–2010–11 एवं 2011–12 में नगर परिषद के द्वारा कार्यान्वयन किये गये विभिन्न मद के योजनाओं की वितीय एवं भौतिक स्थिति निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	वर्ष	कुल चयनित योजनाओं को सं0	पूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजनाओं की सं0	पूर्ण योजनाओं पर व्यय	अपूर्ण योजनाओं पर व्यय	कुल व्यय
1.	2010–11 से 2011–12	226	143	83	34964255	13622170	48586425

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट VII पर)

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) योजना विवरणी के अनुसार कार्य प्रारंम्भ करने के एक से तीन माह के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना था लेकिन एक से दो वर्ष बीत जाने के बाद भी योजना को पूर्ण नहीं किया गया। जिसके कारण 83 योजनाऍं अपूर्ण थी।

अतः परिषद के पदाधिकारी को सलाह दिया जाता है कि अपूर्ण योजनाओं को यथाशीध्र पूर्ण कराया जाय तथा जिन योजनाओं पर आगे कार्य किया जाना संभव नहीं है उनके संबंध में सामंजन/वसूली की कार्रवाई की जाये।

(II) **श्रम सेस की कटौती नहीं**

सराकर के दिशा– निर्देशानुसार योजनाओं पर व्यय कि गई राशि पर 1% श्रम सेस की कटौती किया जाना था, लेकिन नगर परिषद के द्वारा कराये गये योजनाओं पर व्यय की गई राशि पर श्रम सेस की कटौती नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

		वर्ष			
क्र0सं0	**मद का नाम**	**2010–11**	**2011–12**	**कुल व्यय**	**1 % श्रम सेस की राशि**
1.	पि0क्षे0अनु0 कोश	11337133	8524819	19861952	198620=00
2.	नाला निर्माण	–	5035660	5035660	50357=00
3.	पथों का निर्माण	–	5499551	5499551	54996=00
4.	जलापूर्ति योजना	–	794024	794024	7940=00
5.	12 वीं वित आयोग	4508417	1455937	5964354	59644=00
6.	13 वीं वित आयोग	–	10608763	10608763	106088=00
7.	नगर परिषद कोष	177419	644702	822121	8221=00
8.	विभिन्न योजनाओं पर वर्ष–10–11 के पूर्व के योजनाओं पर वर्ष 10–11 एवं 11–12 में व्यय	–	–	45091025	450910.00
					936776.00

अंकेक्षण टिप्पणी

कुल राशि ₹936776.00 वसूली हेतु जवाब दिया गया कि सरकार के दिशा–निर्देश प्राप्त कर अनुपालन किया जायेगा, जो संतोषजनक नहीं था।

अतः श्रम सेस की कटौती नहीं किये जाने के कारण संवेदक को अधिक भुगतान की गई राशि ₹936776.00 संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर श्रम कल्याण बोर्ड को प्रेषित किया जाय।

67

20. अधिक भुगतान

यो0 सं0 31/10–11 (पि0 क्षे0 अनु0 कोष)

योजना का नाम :– वार्ड नं0–05 में लखीसराय प्रखण्ड कार्यालय के सामने मैदान में मिट्टी भराई एवं जल निकासी हेतु नाला निर्माण।

प्रा0 राशि = ₹305900/–

संवेदक का नामः– श्री जटाशंकर सिंह

संवेदक को भुगतानः–रूपया–303326=00(कर सहित)

B.O.Q एवं मापी में दर्ज कार्य के मिलान करने से ज्ञात हुआ कि कराये गये कार्य में निम्नलिखित त्रुटियाँ थी।

(i) B.O.Q के अनुसार item No-7 में cost of rainfor cement 160kg total ₹7672. 00 दर्ज था लेकिन मापी पुस्तिका के अनुसार उक्त item का कोई कार्य नहीं कराया गया था तथा कुल राशि ₹7672.00 बिना कार्य कराये/क्रय किये ही अभिकर्त्ता को भुगतान किया गया था।

(ii) B.O.Q के अनुसार Extra cost of Brick, extra cost of cement and Sign board, photo graphy का विवरण दर्ज नहीं था जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार क्रमशः 1704, 452, एवं 3000.00 यानी कुल राशि ₹5156.00 मापी में दर्ज कर संवेदक को अधिक भुगतान किया गया था।

(iii) बिहार सरकार के आदेश एवं खनन एवं खनिज अधिनियम–1972 के तहत संवेदक द्वारा योजना के कार्यान्वयन में क्रय किये गये सामाग्रियों का चालान अभिश्रव संलग्न किया जायेगा। लेकिन संचिका के अनुसार गिट्टी बालू एवं ईट का उपयोग किये जाने के बाद भी कोई अभिश्रव सलंग्न नहीं किया गया था। साथ ही, अभिश्रव सलंग्न नहीं करने की स्थिति में सामाग्रियों पर देय भाड़ा को संवेदक को भुगतान नहीं किया जाना था, लेकिन फिर भी, कुल राशि ₹5853.00 भुगतान किया गया था।

क्र0सं0	विवरण	भाड़ा
1.	ईट	2739.26
2.	गिट्टी	931.50
3.	बालू	1425.22
	कुल	5095.98 या ₹5096.00

उक्त सभी टिप्पणियों से संबंधित जवाब अगले अंकेक्षण में दिखाने हेतु कहा गया था।

अतः कुल राशि ₹13828.00 (7672+5156) भुगतान हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर परिषद कोष में जमा किया जाय एवं भाड़ा की कुल राशि ₹5096.00 आपत्ति के निराकरण होने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

21. संदेहात्मक व्यय (₹44.72 लाख)

(i) फॉगिंग मशीन का कय

नगर परिषद बोर्ड की सामान्य बैठक दिनांक :– 11.05.10 के प्रस्ताव सं0–2 के कंडिका–3 के आलोक में फॉगिंग मशीन के क्रय हेतु 03 कम्पनियों

(i) Royal Pulsfog (p) LTD, New Delhi (ii) Hydrotech International, Saharanpur (iii)Hemant Engineerings Saharanpur से कमशः 76,275.00, 65313.00 (Model- RPf) 105.P

एवं 62312.00 (Model- SH) का Vat सहित कोटेशन प्राप्त हुआ था।

2ESS

उक्त कोटेशनों के तुलनात्मक विवरणी के अनुसार HEMANT ENGINEERINGS को ₹62312.00 के दर से कार्यालय पत्रांक–1478 दिनांक–28.09.2010 द्वारा 05 अदद फॉगिंग मशीन आपूर्ति करने हेतु पत्राचार किया गया था जिसके आधार पर दिनांक –11–10–10 को आपूर्ति किया गया था तथा भुगतान अभिश्रव सं0–495/11–10–11 द्वारा कुल ₹3,11,560=00 किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि फौगिंग मशीन क्रय हेतु समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशति नहीं की गयी थी।

(ii) कोटेशन के तुलनात्मक विवरणी के अनुसार तीनों कम्पनियों के द्वारा अलग–अलग मॉडल का दर दिया गया था फिर किस आधार पर कम दर वाले को चयन कर आपूर्ति करने हेतु आदेश निर्गत किया गया था।

(iii) सफाई निरीक्षक के भौतिक प्रतिवेदन के अनुसार 05 अदद फौगिंग मशीन के जगह पर मात्र 02 अदद मशीन ही कार्यरत था शेष 03 अदद मशीन खराब पड़ा हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि मशीन की गुणवता की जाँच नहीं कराया गया था।

(65)

(iv) संचिका के अनुसार मशीन की मरम्मति हेतु गारंटी/वारंटी के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं था

उक्त सभी टिप्पणियों के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया था।

अतः उक्त टिप्पणियों से संबंधित उत्तर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तब तक व्यय की गई राशि ₹3,11,560,.00 आपति के अधीन रखा जाता है।

(II) सेक्शन मशीन का क्रय (12 वीं वित आयोग)

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हंआ कि M/S-KAM-AVIDA ENVIRO ENGINEERINGS [ENGINEERIMGGS] PVT.LTD. PlotNo-02. S.No-255/1, Hinjawadi, Mulshi [Milshi]pune -411057,(India) के दिनांक– 25.04.2010 के आवेदन के आधार पर कार्यालय पंत्राक –827 दिनांक 01.6.10 द्वारा उनके द्वारा मुँगेर एवं शेखपुरा नगर निकाय मे आपूर्तित दर रूपया–564146.00 पर सेक्शन मशीन का आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था तथा कम्पनी के द्वारा दिनांक–21.7.10 को आपूर्ति करते हुए बिल विपत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर चेक सं0–638163/26.8.10 से कुल राशि ₹564146.00 संबंधित कम्पनी को भुगतान किया गया था।

<u>अंकेक्षण टिप्पणी</u>

(i) सेक्शन मशीन की गुणवता की जाँच प्रतिवेदन एवं उपयोग किये जाने से संबंधित संचिका उपल्ब्ध नहीं कराया गया था।

(ii) सेक्शन मशीन के उपयोग के बाद उससे प्राप्त आय से संबंधित संचिका उपलब्ध नहीं कराया गया था।

उक्त टिप्पणिओं से संबंधित संचिका अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तब तक व्यय की गई राशि रूपया–564146=00 अंकेक्षण आपति के अधीन रखा जाता है।

(III) <u>आवश्यकता नहीं रहने के बाबजूद जे0 सी0 बी0 मशीन का क्रय</u>

दिनांकः– 21.7.10 के साधारण बैठक में श्री रासपति पाण्डे पार्षद के जे0सी0बी0 मशीन क्रय के प्रस्ताव के आधार पर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा श्री नन्द किशोर झा, सेल्स मैनेजर, मेसर्स शंकर इक्यूपर्मेट लि0 पटना के साथ वार्त्ता करने के बाद जे0 सी0 बी0 क्रय हेतु ₹1990000.00 का कोटेशन प्राप्त किया गया था। चुँकि एकल प्रतिष्ठान से कोटेशन प्राप्त कराया गया था जिसके आधार पर जे0 सी0 बी0 मशीन (TATA-315E) की आपूत्ति हुई एवं ₹1990000=(1741250+248750(Vat)) वाणिज्य कर सहित मे0 शंकर इक्यूपमेंट लि0 पटना को चेक के द्वारा भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) मेंo शंकर इक्यूपमेंट लिo पटना के अलावे कोई अन्य कम्पनियों से वार्त्ता एवं कोटेशन क्यों नहीं मंगया गया था।

(ii) जेo सीo बीo मशीन का निबंधन एवं बीमा संचिका के अनुसार नहीं कराया गया था।

(iii) संचिका के अनुसार कार्यालय के पत्रांक 391 दिनांक –26.3.11 के द्वारा महाप्रबन्धक जिला उधोग केन्द्र, लखीसराय को तकनीकी सत्यापन करने हेतु पत्र भेजा गया था, तथा सत्यापन पत्र संचिका में संलग्न नहीं था।

(iv) जेo सीo बीo का लौग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था लेकिन सफाई निरीक्षक के मौखिक सूचना के अनूसार सिर्फ दशहरा एवं छठ पूजा में ही उपयोग किया जाता था बाकी शेष समय में खड़ा रहता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर परिषद को जेo सीo बी मशीन का उपयोग नहीं रहने के बाद भी केवल पार्षद के प्रस्ताव पर ही मशीन का क्रय किया गया था।

(v) जेo सीo बी मशीन चलाने हेतु अलग से चालक की नियुक्ति नहीं किया गया था।

(vi) क्रय किये गये मशीनों को भण्डार पंजी में दर्ज हेतु पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया था।

उक्त टिप्पणियों से संबंधित कोइ जवाब नहीं दिया गया था।

अतः उक्त टिप्पणियों का जवाब अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय साथ ही बिना उपयोग के क्रय किये गये मशीन पर व्यय की गई राशि रूपया–1990000=00 जवाब प्राप्त किये जाने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(iv) **सोलर लाईट अधिस्ठापन (योo संo–12/11–12, 12 वीं वित्त आयोग का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन अनुपलब्ध)**

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दिनांक 23.05.08 को नगर परिषद के बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव संo–03 में यह निर्णय लिया गया था कि 12 वीं वित आयोग की राशि से उपस्कर/सामाग्रियों का क्रय किया जाना था जिसके आधार पर स्थानीय दैनिक सामाचार पत्र में निविदा प्रकाशित किया गया था जिसके आधार पर निम्नलिखित कम्पनियों का कोटेशन प्राप्त हुआ था।

	Model	राशि	वारंटी/रख–रखाव
(i) भारत अक्षय उर्जा एजेन्सी, लखीसराय	75WP75Ah 01 No	43400	5 वर्ष

163

(ii) मे0उजाला इन्टर प्राइजेज,	वही	42000	2 वर्ष
कचहरी रोड़, हाजीपुर (वैशाली)		57100	5 वर्ष

तदुपरान्त में0 उजाला इन्टर प्राइजेज हाजीपुर को रूपया–42000/– प्रति यूनिट की दर पर 5 वर्षों तक वारंटी एवं रख–रखाव पर कार्यालय के पंत्राक–877 दिनांक–02.08.11 द्वारा पुनः विचार करने हेतु पत्र निर्गत किया गया था। जिस पर प्रो0 शैलेन्द्र कु0 सिंह के द्वारा सहमति होने के बाद कार्यालय के पत्रांक –908 दिनांक–06.08.2011 द्वारा सोलर लाईट अधिस्ठापन हेतु आपूर्ति करने का आदेश निर्गत किया गया था। जिसके आधार पर वार्ड पार्षदों के द्वारा चयनित कुल–10 स्थानों पर अधिस्ठापन किया गया था जिसका भुगतान विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल राशि ₹420000.00, प्रो0 शैलेन्द्र कु0 सिंह को भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

सभी 10 अदद सोलर लाईट का अधिस्ठापन के संबंधित भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया था। जिसे अगले लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

(v) सी0 एफ0 एल0 बल्ब का क्रय (₹16.07 लाख)

यो0 सं0 –15/11–12 (13 वीं वित आयोग)

संचिका के आदेश फलक के अनुसार नगर परिषद के बोर्ड की बैठक के दिनांक 30.09.2011 के प्रस्ताव सं0–04 में लिए गए निर्णय कि प्रत्येक वार्ड में सी0 एफ0 एल0 बल्ब लगाया जाय, के आलोक में दिनांक–25.08.2011 के दैनिक जागरण के माध्यम से निविदा प्रकाशित किया गया था जिसमें निम्नलिखित कम्पनियों के द्वारा कोटेशन प्राप्त हुआ था।

क्र0सं	कम्पनी का नाम	दर	अभियुक्ति
1.	श्री कृष्ण इलेक्ट्रिकल, लखीसराय	2500/– प्रति बल्ब	फुल फिटिंग एवं 6 माह की वारंटी के साथ।
2.	में0 नेशनल अक्षय उर्जा एजेन्सी प्रकाश लोक मार्केट, शौप नं0–1 कोर्ट एरिया,बाढ़, पटना	2300/– प्रति बल्ब	फुल फिटिंग एवं एक वर्ष की वारंटी के साथ।